कार्यालय नजारत अनुभाग,
जनपद न्यायालय, फैजाबाद।
दिनांक 12.03.2015।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित राजकीय वाहन एम्बेसडर कारे, जो पैट्रोल चालित है तथा जिला न्यायाधीश के आवासीय परिसर में खड़ी है, की नीलामी दिनांक 03.04.2015 को अपरान्ह 4.00 बजे न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष संख्या 1, फैजाबाद में की जायेगी। नीलाम किये जाने वाले राजकीय वाहनों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्रम सं0	स्टाफ कार संख्या	वाहन का प्रकार	इंजन संख्या	चेसिस संख्या	क्रय करने का वर्ष	कुल तय की गयी दूरी
1	UP 42 F 7777	Ambassador Car	3ELHBO74634	AJB857334	2002	59221
2	UP 42 B 6840	Ambassador Car	3BLHVO42515	AHV746208	1996	82593

उक्त एम्बेसडर कारों की नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. जो इच्छुक व्यक्ति बोली बोलना चाहेगें उन्हें अंकन रूपया 10000/– नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद के नाम होगा, प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
2. नीलामी के इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त वाहनों की नीलामी हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी के संस्तुति पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर की बोली बोलनी होगी।
3. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली समाप्त होते ही स्वीकृत बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि बोली स्थल पर ही नगद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि बोली का अनुमोदन होने के उपरान्त अन्दर तीन दिन में जमा करनी होगी।
4. यदि उच्चतम बोलीदाता अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी तथा उससे कम बोली बोलने वाले को अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी।
5. नीलाम स्वीकृत होने व समस्त धनराशि जमा होने पर तथा समस्त औपचारिकतायें बोलीकर्ता द्वारा पूर्ण करने के पश्चात उसे वाहन की डिलीवरी दी जायेगी।
6. इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य दिवस में जिला न्यायाधीश, फैजाबाद के आवासीय परिसर में खड़ी वाहन का निरीक्षण नजारत अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी के माध्यम से किया जा सकता है। वाहन जैसा है, जहाँ है, वैसा ही नीलाम किया जायेगा। यदि इच्छुक व्यक्ति कोई अन्य जानकारी जानना चाहता है तो वह किसी भी कार्य दिवस में प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, फैजाबाद से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं।
7. नीलाम क्रेता को नीलामी सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें स्वंय पूर्ण करनी होगी।
8. नीलामी समिति/ जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये स्वीकृत बोली/बोलियों को निरस्त कर सकते है।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि वह इस नीलामी सूचना का प्रचार कराने की दृष्टि से इसे अपने कार्यालय के सूचना पटट् पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, फैजाबाद।
3. आयुक्त फैजाबाद मंडल, फैजाबाद।

––2––

4. कार्यालय जिलाधिकारी, फैजाबाद।
5. अध्यक्ष, जिला परिषद, फैजबाद।
6. उपाध्यक्ष, अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकारण, फैजाबाद।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, फैजाबाद।
8. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, फैजाबाद।
9. मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद।
10. तहसीलदार सदर, फैजाबाद।
11. आर0टी0ओ0, फैजाबाद।
12. नोडल ऑफिसर, न्यायालय फैजाबाद को अपने कार्यालय के वैबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
13. श्रीमान ओ0एस0डी0(कम्प्यूटर), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अपने कार्यालय की वैबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
14. स्थानीय समाचार पत्र में वास्ते सूचनार्थ एंव निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।

दि0 18.03.2015

18/3/15

(दिवेश चन्द्र सामन्त)
अध्यक्ष, वाहन नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0 1,
फैजाबाद।